RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

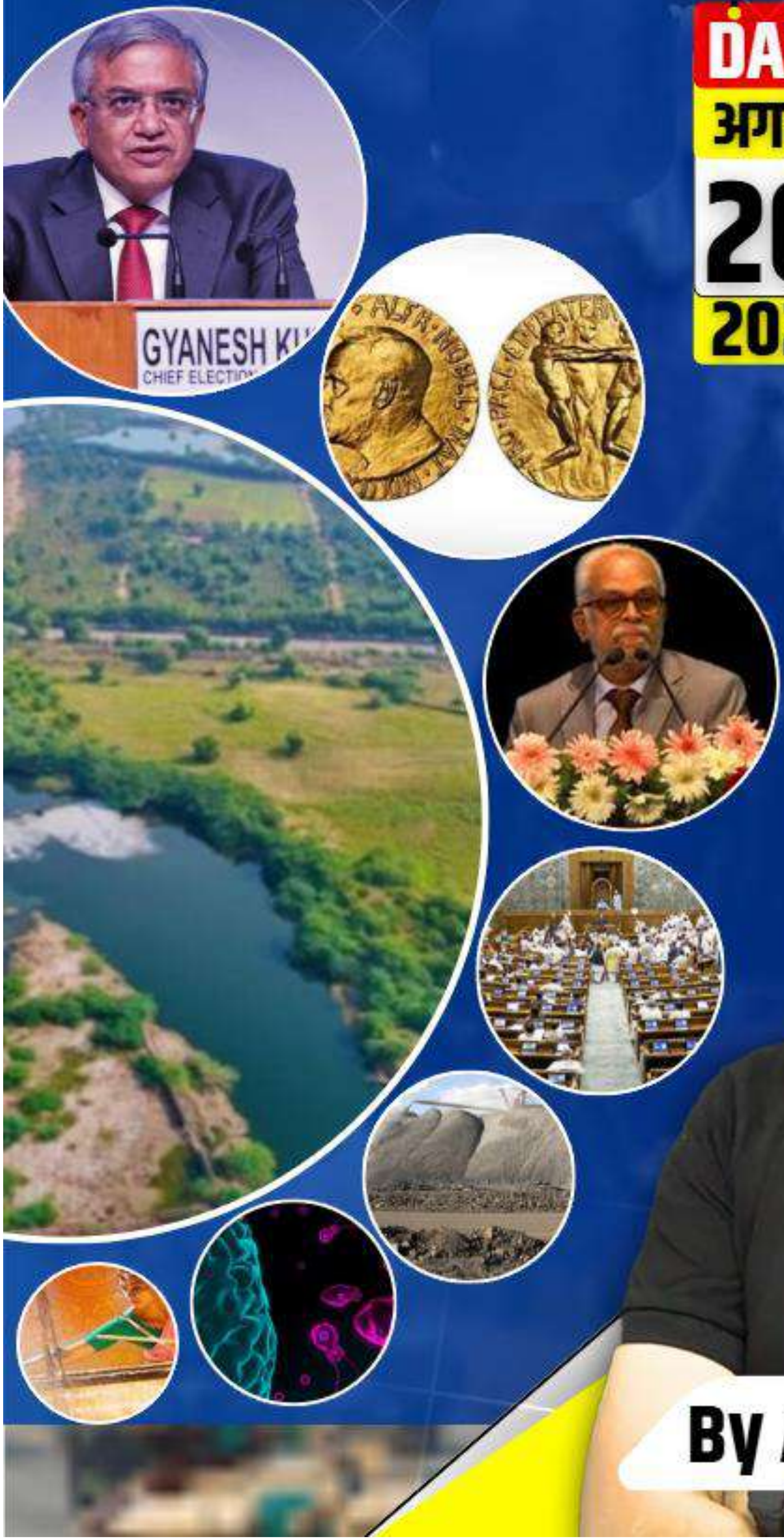

DATE
अगस्त
20
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

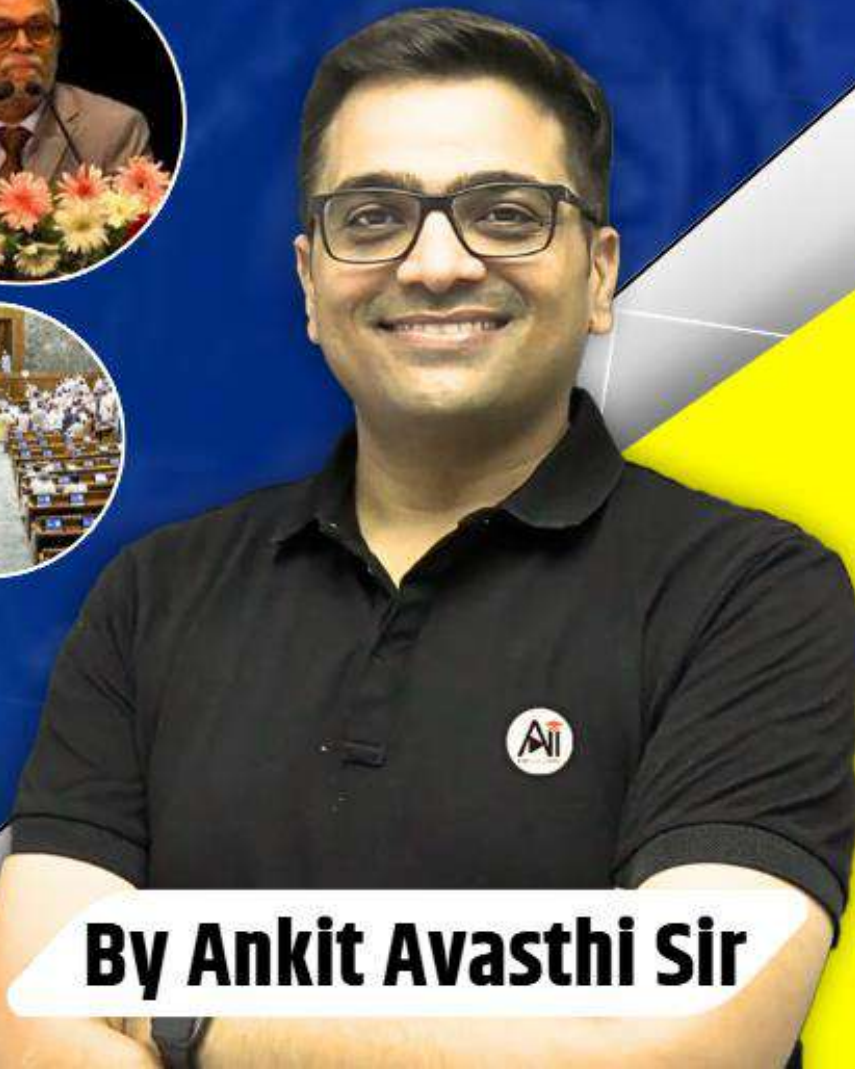

By Ankit Avasthi Sir

मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग / Impeachment of Chief Election Commissioner

संदर्भ:

विपक्षी दलों के गठबंधन **INDIA ब्लॉक** ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) **ज्ञानेश कुमार** को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार-विमर्श शुरू किया है। हाल ही में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कथित राजनीतिक रूप से प्रभावित बयानों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति (Appointment of Election Commissioners):

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 324**: निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई संख्या में निर्वाचन आयुक्त (ECs) होंगे।

वैधानिक प्रावधान:

- **मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023** इनके नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है।

नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी:

- **भारत के राष्ट्रपति**, जिन्हें सुझाव देता है एक **तीन सदस्यीय चयन समिति**:
  1. प्रधानमंत्री
  2. लोकसभा में विपक्ष के नेता
  3. केंद्रीय मंत्रिपरिषद का एक मंत्री

खोज समिति (Search Committee):

- कानून मंत्री की अध्यक्षता में गठित।
- यह उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चयन समिति को देती है।

पात्रता (Eligibility):

- ऐसे व्यक्ति जिन्हें केंद्र सरकार में **सचिव स्तर** या उससे ऊपर का पद मिला हो या मिल चुका हो।

कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति:

- **कार्यकाल**: 6 वर्ष या **65 वर्ष की आयु** तक, जो पहले हो।
- **पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती**।
- यदि कोई EC, CEC बनता है तो कुल कार्यकाल **6 वर्ष से अधिक नहीं** होगा।

वेतन और सेवा शर्तें:

- वेतन, भत्ते और पेंशन **कैबिनेट सचिव** के बराबर।

निर्वाचन आयुक्तों की भूमिकाएँ और कार्य:

1. संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन।
2. **सामान्य चुनाव नियम** बनाना।
3. **निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण** और **मतदाता सूची तैयार करना**।
4. राजनीतिक दलों को **मान्यता और चुनाव चिह्न** देना।
5. **चुनाव की तिथियाँ तय करना** और **मतदान अधिकारियों की नियुक्ति**।
6. **आदर्श आचार संहिता** और अन्य चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया:

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 324(5)**:
  - CEC को केवल उन्हीं कारणों और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश** को हटाया जाता है।
  - ECs को राष्ट्रपति केवल **CEC की सिफारिश पर** हटा सकते हैं।

वैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 11(2), अधिनियम 2023**: संविधान की सुरक्षा व्यवस्था को दोहराता है।

हटाने के आधार:

1. **सिद्ध दुराचार (Proved Misbehaviour)** – भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, कर्तव्यों के विपरीत कार्य।
2. **अक्षम्यता (Incapacity)** – कर्तव्यों को निभाने में असमर्थता।

नोबेल पुरस्कार / Nobel Prize

संदर्भ:

कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है।

नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)

स्थापना: 1895 में **अल्फ्रेड नोबेल** की वसीयत के अनुसार स्थापित।

पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएँ

1. **रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज** – भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र
2. **नोबेल असेंबली (कैरोलीन्स्का इंस्टीट्यूट)** – चिकित्सा
3. **स्वीडिश अकादमी** – साहित्य
4. **नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी** – शांति

नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize)

- पाँचों नोबेल पुरस्कारों में सबसे **प्रतिष्ठित** माना जाता है।
- हर वर्ष उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
- **पुरस्कार समारोह**: 10 दिसंबर (अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि) को स्टॉकहोम और ओस्लो में आयोजित।
- **पुरस्कार स्वरूप**: पदक, डिप्लोमा और नगद राशि दी जाती है।

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन कौन कर सकता है?

(नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के नियमों के अनुसार)

1. राष्ट्रीय संसदों और सरकारों के सदस्य।
2. राष्ट्राध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के प्रमुख।
3. विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर (इतिहास, राजनीति विज्ञान, कानून, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र)।
4. पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता।
5. नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सदस्य।

नामांकन प्रक्रिया (Nomination Process)

1. **समिति समीक्षा:** नॉर्वेजियन नोबेल समिति नामांकनों का मूल्यांकन करती है, शॉर्टलिस्ट तैयार करती है और बाहरी विशेषज्ञों से शोध इनपुट लेती है।
2. **निर्णय समयावधि:** पूरी प्रक्रिया लगभग **8 महीने** चलती है।
3. **गोपनीयता:** नामांकित व्यक्तियों/संगठनों के नाम **50 साल बाद ही सार्वजनिक** किए जाते हैं।

पात्रता और शांति की परिभाषा (Eligibility & Definition of Peace)

अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने:

1. राष्ट्रों के बीच **भाईचारे** को बढ़ावा दिया हो।
2. **सेनाओं में कमी** के लिए कार्य किया हो।
3. **शांति सम्मेलनों** को प्रोत्साहित किया हो।

भारत से जुड़े नोबेल पुरस्कार विजेता

अब तक 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो या तो भारत में जन्मे थे या भारतीय नागरिक थे।

1. **रवीन्द्रनाथ टैगोर (1913 – साहित्य)**
   - एशिया के पहले नोबेल विजेता।
   - कृति: गीतांजलि।
2. **सी. वी. रमन (1930 – भौतिकी):** रमन प्रभाव की खोज।
3. **मदर टेरेसा (1979 – शांति):** कोलकाता में गरीबों व बीमारों की सेवा के लिए सम्मानित।
4. **सुब्रह्मण्यन चन्द्रशेखर (1983 – भौतिकी):** चन्द्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit) पर शोध।
5. **अमर्त्य सेन (1998 – अर्थशास्त्र):** कल्याण अर्थशास्त्र (Welfare Economics) में योगदान।
6. **हरगोविंद खुराना (1968 – चिकित्सा):** आनुवंशिक कोड (Genetic Code) पर कार्य।
7. **वेंकटरामन रामकृष्णन (2009 – रसायन):** राइबोसोम (Ribosome) की संरचना पर शोध।
8. **कैलाश सत्यार्थी (2014 – शांति):** बच्चों के अधिकारों और बाल श्रम उन्मूलन के लिए।
9. **अभिजीत बनर्जी (2019 – अर्थशास्त्र):** वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर शोध।

भारत के उपराष्ट्रपति / Vice President of India

संदर्भ:

INDIA गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पहले लोकायुक्त जस्टिस (रिटा.) बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वह सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को चुनौती देंगे।

- 18 अगस्त 2025 को मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी और 19 अगस्त को खरगे ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।

NDA की तरफ से राधाकृष्णन को चुना गया-

- एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
- वो तमिलनाडु से आते हैं और उनका संबंध RSS से भी है।
- राधाकृष्णन 19 अगस्त की शाम तक अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
- राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं और कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं।
- लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 9 सितंबर को अगले उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे।

भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President of India)

पद की स्थिति:

- यह देश का **दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद** है।
- राष्ट्रपति के बाद **सर्वोच्च गरिमा** रखता है।
- उपराष्ट्रपति का पद **विधायी और कार्यपालिका की जिम्मेदारियों का संयोजन** है, जिससे संसदीय व्यवस्था और शासन सुचारू रूप से चलता है।

चुनाव प्रक्रिया (Election Process)

- उपराष्ट्रपति का चुनाव **संसद के दोनों सदनों** (लोकसभा और राज्यसभा) के **निर्वाचित व मनोनीत सदस्य** मिलकर करते हैं।
- चुनाव की विशेषताएँ:
  1. **प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन सिस्टम (अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली)**
  2. **सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम**
  3. **गुप्त मतदान (Secret Ballot)** द्वारा चुनाव
- चुनाव विवादों पर अंतिम निर्णय: **सुप्रीम कोर्ट**।

अधिकार और कार्य (Powers & Functions)

1. उपराष्ट्रपति **राज्यसभा के पदेन सभापति** होते हैं।
   - इस रूप में उनके अधिकार **लोकसभा के स्पीकर** के समान होते हैं।
2. राष्ट्रपति के **इस्तीफा, निधन, महाभियोग या अन्य कारणों** से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति **कार्यकारी राष्ट्रपति (Acting President)** बनते हैं।
3. कार्यकारी राष्ट्रपति अधिकतम **6 महीने** तक पद पर रह सकते हैं।
   - इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है।
4. जब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं, तब **राज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति** संभालते हैं।

कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया

कार्यकाल

- कार्यकाल: **5 वर्ष**।
- कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए उपराष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने तक वे पद पर बने रहते हैं।
- पुन: चुने जाने के पात्र भी होते हैं।

त्यागपत्र: उपराष्ट्रपति अपना **त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं**।

हटाने की प्रक्रिया (Removal)

अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार:

1. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव **राज्यसभा में प्रभावी बहुमत** (सभी वर्तमान सदस्यों का बहुमत) से पारित होना चाहिए।
2. इसके बाद इसे **लोकसभा में साधारण बहुमत** से मंज़ूरी देनी होती है।
3. प्रस्ताव लाने से कम से कम **14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य** है।

जोजरी नदी / Jojari River

संदर्भ:

राजस्थान के बालोतरा ज़िले के डोली गाँव में जोजरी नदी के प्रदूषण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व रालोपा संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक जोजरी नदी में बह रहे प्रदूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा।

जोजरी नदी (Jojari River):

भौगोलिक विवरण:

- जोजरी नदी (जाजोरी नदी) **राजस्थान** की एक महत्वपूर्ण नदी है।
- **उद्गम: नागौर जिले के पुन्दलू गाँव की पहाड़ियाँ।**
- **प्रवाह क्षेत्र:** जोधपुर से होते हुए **बालोतरा** तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है।
- **संगम: मजल धूधाड़ा** के पास जाकर **लूनी नदी** में मिलती है।
- **विशेषता:** यह **लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी** है।

इतिहास और महत्व:

- प्राचीन समय में यह नदी **मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन की धारा** मानी जाती थी।
- वर्तमान में यह नदी **पर्यावरणीय संकट और प्रदूषण** का प्रतीक बन चुकी है।
- स्थानीय लोगों के जीवन और भविष्य पर गंभीर असर डाल रही है।

प्रदूषण के कारण:

1. **औद्योगिक प्रदूषण:**
   - जोधपुर, पाली और बालोतरा की फैक्ट्रियों से जहरीले रसायन और भारी धातुएँ सीधे नदी में छोड़ी जा रही हैं।
2. **घरेलू कचरा:** प्लास्टिक, अनुपचारित सीवेज और अन्य अपशिष्ट।
3. **कृषि प्रदूषण:** खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक।
4. **सीईटीपी की समस्या:**
   - जोधपुर के **कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)** की क्षमता बहुत कम।
   - वर्तमान में **200 MLD** क्षमता की आवश्यकता, भविष्य में और बढ़ेगी।
   - पुरानी पाइपलाइनें छोटी और अवरुद्ध हो जाती हैं।
   - कई कंपनियाँ तय सीमा से अधिक दूषित पानी छोड़ रही हैं।

गाँवों में संकट (Impact on Villages):

जोधपुर से बालोतरा तक लगभग **50 गाँव प्रभावित**।

कृषि पर असर:

- काला और बदबूदार पानी खेतों में भरने से गेहूँ और मूंग जैसी फसलें नष्ट।
- जमीन बंजर होती जा रही है।
- लगभग **10,000 से अधिक रोहिड़ा वृक्ष सूख गए**।

स्वास्थ्य पर असर:

- ग्रामीणों में त्वचा रोग, खाँसी और सांस संबंधी बीमारियाँ बढ़ी।
- दूषित जल से मवेशियों का जीवन भी प्रभावित।

सामाजिक असर:

- कई परिवारों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा।
- स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी, शिक्षा प्रभावित।

पर्यावरणीय असर:

- मिट्टी की उर्वरता घट रही है।
- विषैले रसायन मानव व पशु स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा।

समाधान की आवश्यकता:

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो नदी पूरी तरह मर सकती है। इसके लिए आवश्यक कदम हैं:

- घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
- औद्योगिक कचरे का अनिवार्य उपचार।
- स्थानीय लोगों को जागरूक करना ताकि वे नदी में कचरा न डालें।
- कड़े कानून और नियम लागू करना और उनका पालन सुनिश्चित करना।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ:

लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025** पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न कानूनों में सुधार कर अनुपालन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और व्यवसाय के लिए अनुकूल बनाना है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025

- यह विधेयक जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है।
- 2023 का अधिनियम (अगस्त 2023 में अधिसूचित) छोटे अपराधों को अपराधमुक्त (Decriminalise) करने वाला पहला समेकित कानून था।
- इसमें 19 मंत्रालयों/विभागों के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों की 183 धाराओं को अपराधमुक्त किया गया था।

2025 विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

1. **लक्ष्यबद्ध प्रावधान** – 10 मंत्रालयों के तहत 16 केंद्रीय अधिनियमों की **355 धाराओं** को शामिल किया गया है।
   - इनमें से **288 धाराओं** को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है।
   - **67 धाराओं** का उद्देश्य "Ease of Living" को बढ़ावा देना है।
2. **प्रमुख संशोधन** – नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में बदलाव कर नागरिकों के लिए अनुपालन आसान बनाया जाएगा।
   - छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक अपराधों को **जुर्माना या चेतावनी** से बदला जाएगा, खासकर पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए (76 अपराधों पर लागू)।
   - **बार-बार अपराध पर क्रमिक दंड (Graduated Penalties)** का प्रावधान होगा।
   - **नामित अधिकारी (Designated Officers)** प्रशासनिक स्तर पर दंड लगा सकेंगे, जिससे न्यायालय का बोझ कम होगा।
3. **दंड प्रावधान** – **हर तीन वर्ष में स्वत: 10% वृद्धि** का नियम लागू होगा ताकि बार-बार विधायी संशोधन की ज़रूरत न पड़े।
   - दंड अनुपातिक और न्यायसंगत बनाए गए हैं।
4. **पहले से कवर कानूनों में और सुधार** – मोटर वाहन अधिनियम, चाय अधिनियम, और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम जैसे कानूनों में और अधिक अपराधमुक्तिकरण का सुझाव दिया गया है।

प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस / PAM

संदर्भ:

केरल के कोझिकोड जिले में स्वास्थ्य विभाग ने **प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM)** को लेकर अलर्ट जारी किया है। हाल ही में इस संक्रमण के मामलों और एक मौत की पुष्टि के बाद विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है।

प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM)

परिभाषा: प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है, जो *Naegleria fowleri* नामक अमीबा से होता है।

कारक जीव:

- *N. fowleri* एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला अमीबा है।
- यह गर्म मीठे पानी (freshwater) और मिट्टी में पाया जाता है।
- अमीबा एक एककोशिकीय जीव (single-celled organism) होता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी (microscope) के बिना नहीं देखा जा सकता।

संक्रमण का तरीका:

- यह संक्रमण तब होता है जब दूषित पानी नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।
- सामान्यत: तैराकी, धार्मिक अनुष्ठानों में नाक की सफाई (nasal cleansing) या साइनस धुलाई (sinus irrigation) के दौरान।
- **महत्वपूर्ण**: यह न तो पीने के पानी से फैलता है और न ही व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है।

प्रभाव (Effect):

- अमीबा नाक से होकर मस्तिष्क तक पहुँचता है।
- यह मस्तिष्क की ऊतक (tissue) को नष्ट करता है और सूजन (brain swelling) उत्पन्न करता है।

उपचार और सावधानियाँ:

- जोखिम कम करने के लिए जल गतिविधियों (water activities) के दौरान नाक में पानी जाने से बचना चाहिए।
- कुछ दवाइयाँ *N. fowleri* पर प्रयोगशाला में असर दिखाती हैं, लेकिन वास्तविक संक्रमण में उनका असर बहुत सीमित है।
- यह संक्रमण लगभग हमेशा **घातक (fatal)** होता है।

उद्यम सखी पोर्टल / Udyam Sakhi Portal

संदर्भ:
अगस्त 2025 तक **उद्यम साथी पोर्टल** पर 4,535 महिला उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उद्यम सखी पोर्टल (Udyam Sakhi Portal):

उद्देश्य: उद्यम सखी पोर्टल का उद्देश्य महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को सशक्त बनाना है। यह पोर्टल महिलाओं को वित्तीय योजनाओं, नीतियों, प्रशिक्षण और बाज़ार से जोड़ने में मदद करता है। इसके माध्यम से महिलाएँ अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकती हैं, उसे बढ़ा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

शुभारंभ: मार्च 2018

पहल: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry)

पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ

1. **सूचना (Information):**
    - MSME मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराता है।
    - वित्तीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना (MUDRA) आदि का विवरण प्रदान करता है।
2. **उद्यमिता विकास:** उद्यमिता से संबंधित लर्निंग टूल्स और इनक्यूबेशन सुविधाएँ प्रदान करता है।
3. **प्रशिक्षण और मार्गदर्शन (Training & Mentorship):**
    - धन जुटाने (Fundraising) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
    - महिला उद्यमियों को मार्गदर्शकों से जोड़ता है।
    - निवेशकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों की सुविधा देता है।
4. **बाज़ार सहायता (Market Support):**
    - बाज़ार सर्वेक्षण की सुविधा उपलब्ध कराता है।
    - उद्यमियों को खरीदारों से जोड़ता है।
    - MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी साझा करता है।
5. **सीख और विकास (Learning & Development):**
    - शिक्षा, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
    - व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन देता है।

रेयर अर्थ मिनरल्स / Rare Earth

संदर्भ:
चीन ने भारत को **दुर्लभ पृथ्वी खनिजों** और उर्वरकों की आपूर्ति में सहूलियत देने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति जताई है।

क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स?

रेयर अर्थ मिनरल्स **17 तत्वों का एक समूह** है, जिनमें से 15 लैंथेनाइड्स हैं और इसके अलावा स्कैंडियम और येट्रियम भी शामिल हैं।

- **यह ऐसे चुम्बकीय तत्व हैं,** जिनका उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों में होता है. इसके बिना प्रोडक्शन कर पाना मुश्किल होता है. चीन रेयर अर्थ का 65 फीसदी उत्पादन करता है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर 90 फीसदी कंट्रोल करता है. जिस कारण रेयर अर्थ का लगभग पूरा कंट्रोल चीन के पास है.

ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?

1. **उन्नत तकनीकी उपयोग**
    - इनका उपयोग **हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स** बनाने में होता है।
    - ये **स्मार्टफोन, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य प्रणालियों** के लिए बेहद जरूरी हैं।
2. **हरित प्रौद्योगिकी**
    - ये **सोलर पैनल और EVs**जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं।
    - स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (Clean Energy Transition) में इनकी बड़ी भूमिका है।
3. **सीमित आपूर्ति श्रृंखला**
    - इनका **खनन और शोधन जटिल** है।
    - इनकी आपूर्ति पर कुछ देशों (विशेषकर **चीन**) का दबदबा है, जिससे **भूराजनीतिक तनाव** में जोखिम बढ़ता है।
4. **कठिन विकल्प:**
    - इन **दुर्लभ तत्वों** के अनोखे गुणों को आसानी से **प्रतिस्थापित** नहीं किया जा सकता।
    - अगर विकल्प मिलता भी है, तो **प्रदर्शन घट जाता है** या **लागत बढ़ जाती है**।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

Baaten Bazar Ki
FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

\+ **(FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)** FREE

EMI AVAILABLE

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR